191

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक R 399-I/17 /2017 जिला–छतरपुर

तुलसीदास पुत्र श्री नत्थू यादव निवासी – वरकौहा तहसील व जिला छतरपुर (म.प्र.)

...... आवेदक

विरूद्ध

1– रामप्यारी पुत्री श्री कन्हैया यादव निवासी – बगाईपुरवा (नदया) तहसील राजनगर जिला – छतरपुर

2– तिजबा पुत्र श्री कन्हैया यादव

3– किशोरा पुत्र श्री कन्हैया यादव

4– रघुनाथ पुत्र श्री जमुना यादव

5– नौने पुत्र श्री कलुवा यादव

6– छोटे पुत्र श्री कलुवा यादव निवासीगण – लखरावन तहसील राजनगर जिला छतरपुर (म.प्र.)

7– शंकर माँ श्रीमती श्यामबाई पुत्री कन्हैया यादव

8– मुन्नीलाल श्रीमती श्याम बाई पुत्र श्री कन्हैया यादव

9– बालादीन माँ श्याम बाई पुत्री श्री कन्हैया यादव निवासीगण – वरकौहा तहसील व जिला छतरपुर (म.प्र.)

10– हल्की बाई पुत्री श्री कन्हैया यादव निवासी – विक्रमपुर हालनिवास लखरावन तहसील राजनगर जिला छतरपुर (म.प्र.)

...... अनावेदकगण

न्यायालय नायब तहसीलदार वसारी तहसील राजनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 19/अ–27/1996–97 में पारित आदेश दिनांक निल के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1– यहकि, अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बसारी का आदेश अवैध अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

2– यहकि, अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बसारी द्वारा प्रकरण के तथ्यों

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-399-एक/2017 जिला छतरपुर तुलसीदास विरूद्ध रामप्यारी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
08-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री के.के. द्विवेदी उपस्थित । आवेदक के द्वारा नायब तहसीलदार राजनगर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 19/अ-27/1996-97 में पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 31-01-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. नायब तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 27-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन)
सदस्य 8/1/19